

थाना दीदारगंज

पुष्पनगर में घटित दुष्कर्म व हत्या के प्रयास की घटना से संबंधित अभियुक्त करन उर्फ डब्लू राजभर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार; अभियुक्त के दाहिने पैर में लगी गोली, अभियुक्त के कब्जे से असलाह, कारतूस व घटना में प्रयुक्त

मैटेलिक पंच बरामद।

दिनांक- 15.06.2022 को थाना दीदारगंज के एक गांव के व्यक्ति द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि वादी बहन व दुसरी बहन भी घर पर थी, दिनांक- 14.06.2022 को करन उर्फ डब्लू राजभर पुत्र केदार निवासी पुष्पनगर पूक, थाना दीदारगंज, आजमगढ़ व उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की बहन को उठाकर ले गये तथा शकुन्तला डिग्री कालेज के पास खेत में दुष्कर्म किया गया तथा मारपीट कर अधमरा करके भाग गये, के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 150/22 धारा 376-डी, 364, 307 भादवि व 3(2)(v) sc/st एक्ट बनाम करन उर्फ डब्लू राजभर पुत्र केदार निवासी पुष्पनगर पूक, थाना दीदारगंज, आजमगढ़ व एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आज दिनांक – 16.06.2022 को थानाध्यक्ष दीदारगंज कौशल पाठक मय हमराह को सूत्रों से सूचना मिली कि दुष्कर्म व हत्या के प्रयास से सम्बन्धित अभियुक्त करन उर्फ डब्लू राजभर बैरकडीह से शाहगंज की ओर जाने वाला है, इस सूचना पर थानाध्यक्ष मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान सामने से आ रहे स्पलेण्डर मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया व तेजी से भागने लगा। मोटरसाइकिल सवार बदमाश अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गिर गया तथा पुनः पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे बदमाश वही पर घायल होकर गिर गया। जिसकी पहचान करन उर्फ डब्लू राजभर पुत्र केदार निवासी पुष्पनगर पूक, थाना दीदारगंज, आजमगढ़ के रूप में हुई। घायल बदमाश के पास से 01 तमंचा .315 बोर, 03 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 01 चोरी की मोटरसाइकिल, 02 मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त मैटेलिक पंच बरामद किया गया।

घायल बदमाश को चिकित्सकीय उपचार हेतु पीएचसी मार्टिनगंज भेजा गया है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरा व पीड़िता का 2017 से परिचय था। मैं उससे जाकर मिलता था, पीड़िता मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरा लगाव उतना नहीं था। दिनांक- 14.06.2022 को मैं (करन उर्फ डबलू राजभर), 2.बबलू राजभर पुत्र महेन्द्र 3.संदीप राजभर पुत्र खुनखुन राजभर, 4.मुस्तकीम पुत्र तैय्यब निवासी ग्राम पुष्पनगर थाना दीदारगंज द्वारा ताड़ी, देशी शराब, अंग्रेजी शराब व अन्य सामग्री के साथ मादक पदार्थ का सेवन कर रहे थे। हम में से 02 लोग(सन्दीप व मुस्तकीम)के चले जाने के बाद मैं (करन उर्फ डबलू राजभर) व बबलू राजभर दोनो पुष्पनगर पुलिया पर बैठे थे, मेरे द्वारा फोन करके पीड़िता को बुलाया . पीड़िता खाना लेकर आयी तो शराब की बोतल को देखकर नाराज हो गयी . मैंने शराब की बोतल उसके चेहरे पर फेंक दिया तथा यह लड़ाई देखकर बबलू राजभर वहां से भाग गया। मैंने मैटेलिक पंच से पीड़िता को बुरी तरह से मारा, जब मैं जान गया कि पीड़िता मर चुकी है तो मैं वहां से भाग गया। इस बात की पूरी जानकारी मैंने अपनी माँ को दी। मैं नहीं जानता कि पीड़िता कैसे बच गयी।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताई गई इन बातों की सत्यता की जाँच विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन में की जाएगी।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0- 152/22 धारा 307/411/419/420/467/468/471 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दीदारगंज आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0- 150/22 धारा 376-डी, 364, 307 भादवि व 3(2)(v) sc/st एक्ट थाना दीदारगंज आजमगढ़ ।

पुलिस मुठभेड में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त

1. करन उर्फ डब्बू राजभर पुत्र केदार निवासी पुष्पनगर पूक, थाना दीदारगंज, आजमगढ़। (घायल)
बरामदगी

1. एक अदद तमंचा, 03 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

2. एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल स्पेलण्डर प्लस

3. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मैटेलिक पंच

4. 02 अदद मोबाइल।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. थाना प्रभारी दीदारगंज कौशल पाठक मय हमराह थाना दीदारगंज आजमगढ़ ।

2. का0 अनुप यादव, का0 आशीष कुमार यादव, का0 दुर्गेश राय, का0 नागेन्द्र यादव, म0 का0 अनीता कुमारी थाना दीदारगंज आजमगढ़।